

दिनांक: 03.12.2015

## प्रेस विज्ञप्ति

### जयपुर मेट्रो को विशेष योग्यजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार

7 दिसम्बर, 2015 को राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह 2015-16 के दौरान विशेष योग्यजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए निहाल चन्द गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन को सर्वोत्तम राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा जायेगा।

सीएमडी जयपुर मेट्रो ने बताया कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, 1995 की धारा 45 एव 46 की अनुपालना में मेट्रो के संचालन से पूर्व ही विशेष योग्यजनों के लिए सभी आवश्यक प्रावधानों की पालना की गई है, इसमें प्रत्येक स्टेशन पर निःशुल्क एवं मांग पर ग्राहक सहायक के साथ व्हील चेयर, सार्वजनिक रोड़ से स्टेशन प्रवेश के लिए रेलिंग के साथ रेम्प, व्हील चेयर एवं अन्य विशेष योग्यजनों के लिए उपयुक्त टॉयलेट, भूतल, कॉनकोर्स एवं प्लेटफार्म तक विशेष योग्यजनों हेतु साईनेज एवं आने जाने के लिए लिफ्ट का प्रावधान, ट्रेनों में विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित सीटें तथा दरवाजा खुलने एवं बन्द होने की उपयुक्त श्रव्य, दृश्य तथा उद्घोषणा प्रणाली, लिफ्टों के अन्दर अधिक चौड़ाई के प्रवेश/निकास द्वार तथा ब्रेली भाषा में परिचालन बटन, दृष्टिबाधितों के लिए स्टेशन प्रवेश से प्लेटफॉर्म तक टेक्टाईल मार्ग, ट्रेन में व्हील चेयर के साथ यात्रा के लिए आरक्षित स्थल तथा समय समय पर विशेष योग्यजन सुविधाओं का सामाजिक अंकेंक्षण आदि प्रमुख है।

3 दिसम्बर, 2015 अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे देश में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई है, इसमें सभी सार्वजनिक भवनों एवं परिवहन स्थलों पर विशेष योग्यजनों के लिए बाधारहित पहुंच की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा। जयपुर मेट्रो इस अभियान की परिकल्पना से अपनी शुरुआत 3 जून, 2015 से ही जुड़ा हुआ है तथा विशेष योग्यजनों को सम्मानित यात्री मानते हुए उन्हें सुखद यात्रा का अहसास कराता है। गत 26 जुलाई, 2015 को सामाजिक अंकेंक्षण के दौरान विशेष योग्यजनों का यह कहना था कि मेट्रो की तरह ही उनके लिए अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर समतुल्य व्यवस्थाएँ कराई जानी चाहिए।

जयपुर मेट्रो द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए की गई सुविधाओं के कुछ फोटोग्राफ एवं विवरण संलग्न है।

जनसम्पर्क अधिकारी

संलग्न: उपरोक्तानुसार